तारीख हुक्म	हुक्म
	प्रार्थीनी हक हिस्से में विप्रार्थीगण द्वारा दखल किया जाता है तो प्रार्थीनी को नाहक अपार व अपूरर्णीय क्षति होगी, जिसका भविष्य में नकदी मे आंकलन करना संभव नही होगा । ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण पक्ष में है। उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायहित मे प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे मौजा ढाणी सांखला में कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 222 रकबा 11–05 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 14–15 बीघा, खसरा नम्बर 224 रकबा 07–15 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 7–14 बीघा, एवं खसरा नम्बर 189 रकबा 5–06 बीघा भूमि में प्रार्थीनी का 1/2 हिस्सा की विवादित आराजी में विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे एवं प्रार्थीनी का 1/2 हिस्सा की मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी वकील विप्राथीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस ऑर्डर 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तीन योम में पेश करे। पत्रावली दिनांक 24.08.2021 को वास्ते विप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेश हो । सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
2-8-2021	प्रार्थीनी व उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश कर वाद पत्र को जरिये विड्रोल Not Press खारिज किया जा चुका है। इस प्रार्थना पत्र को भी Not Press खारिज करने का निवेदन किया ... यथास्थिति

नोटप्रेस
अ/नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
में प्रार्थीनी के प्रार्थना-पत्र को इसी स्टेज पर अस्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05-07-2021 को अपास्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner